

## निःशुल्क विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली लागू की जा रही है, जिस हेतु आवेदक का आधार उनके आवेदन एवं बैंक खाते से लिंक किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु आवेदक स्वयं अथवा नजदीकी जन सुविधा केंद्रों/साइबर कैफे के माध्यम से अपना आधार आवेदन से ऑथेन्टिकेट कर सकते हैं। आधार संख्या आवेदन से ऑथेन्टिकेट किये जाने हेतु लिंक <https://sspy-up.gov.in> पर उपलब्ध है।

(अलख निरंजन मिश्र)

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
गोरखपुर

### कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर

पत्रांक ८५५६/स०क०/वृ०पें०यो०/२०२०-२१ दिनांक ०४ जुलाई, २०२१  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोरखपुर।
3. समस्त उप जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गोरखपुर।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोरखपुर।
6. उप निदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. उप निदेशक सूचना, गोरखपुर को इस अनुरोध से प्रेषित कि विज्ञप्ति लोकप्रिय दैनिक समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
गोरखपुर